

प्रेषक :

जन सूचना अधिकारी एवं,  
सहायक पुलिस आयुक्त,  
मुख्यालय, फरीदाबाद।

प्रेषित :

Sh. Shushil Kambampati  
White Rann content & Services  
TQQAY6ur-6<sup>th</sup> Floor  
JMD Regent Square, M G Road, Gurgaon-122002.

क्रमांक 5489 पी.आई.ओ./डी दिनांक 2-11-17

विषय : 'सूचना का अधिकार' अधिनियम वर्ष 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाए जाने बारे।

यादी :

उपरोक्त अधिनियम के तहत कतिपय सूचनाओं की प्राप्ति हेतु आपका आवेदन दिनांक 21.09.2017 कार्यालय, SPIO-cum-Supdt./E & A/ SCB, O/o Addl. Director General of police, Crime, Haryana, Panchkula. से इस कार्यालय में डायरी क्रमांक 2753-आर.टी.आई. दिनांक 28.10.2017 उपरोक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्राप्त हुआ था। आप द्वारा मांगी गई सूचना/दस्तावेज संबंधित से प्राप्त कर (कुल पेज 01) आपको एतद् द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है।

- नोट : (1) प्रथम अपील अधिकारी – पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, फरीदाबाद।  
(2) प्रथम अपील की समयवधि – 30 दिन।  
(3) प्रक्रिया नियम न. 6, (हरियाणा सूचना का अधिकार, नियम, 2009)



(नि. रविन्द्र सिंह, हैडक्लर्क)  
जन सूचना अधिकारी एवं,  
सहायक पुलिस आयुक्त,  
मुख्यालय, फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक

पी.आई.ओ./डी दिनांक

इसकी प्रति –

1. SPIO-cum-Supdt./E & A/ SCB, O/o Addl. Director General of police, Crime, Haryana, Panchkula. को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 7925-51/RW/SCB दिनांक 25.10.2017के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. राज्य जन सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक/आर.टी.आई. सैल, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 5781-82/आर.टी.आई. सैल(2) पी.एच.क्यू.,(एच.) दिनांक 06.10.2017के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

(नि. रविन्द्र सिंह, हैडक्लर्क)  
जन सूचना अधिकारी एवं,  
सहायक पुलिस आयुक्त,  
मुख्यालय, फरीदाबाद



सेवा मे,

जन सूचना अधिकारी एवं  
सहायक पुलिस आयुक्त,  
मुख्यालय, फरीदाबाद।

क्रमांक 47038 दिनांक 2-11-17

विषय:- RTI case of Sh. Sushil Kambampati White Rann Content & Secrice  
TQQAY6UR, Gurugram, regarding COTPA Act 2003.

यादि

कृप्या आपके कार्यालय के आर0टी0आई0 पत्र क्रमांक 2753/आर.टी.आई.  
दिनांक 28.10.17, के सन्दर्भ मे।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे मॉगी गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार से है-

1. मुताबिक रिकार्ड, पुलिस कमीश्नरेट, फरीदाबाद, मे माह अप्रैल 2017 से माह सितम्बर 2017 के दौरान निम्नलिखित धाराओ के तहत किये गये चालानो का विवरण निम्न प्रकार से है-

Sr. No.	COTPA Violation	Total No. Of Challan	Total Amount collected
1	Section 4	488	85900
2	Section 5	-	-
3	Section 6A	8	1600
4	Section 6B	24	4800
5	Section 7	-	-

2. चालानो मे प्राप्त पैसे को सिविल सर्जन, फरीदाबाद, के कार्यालय मे जमा कराया जा रहा है।
3. COTPA Act की पालना मे मौके पर चालान करके जुर्माना प्राप्त किया जाता है और जिसका विवरण बिन्दु न0-1 मे दर्शाया गया है।
4. COTPA को मासिक अपराध रिपोर्ट मे शामिल नही किया गया है तथा अलग से इसकी मासिक रिपोर्ट सिविल सर्जन, फरीदाबाद, के कार्यालय को भेजी जाती है।

कृपया सहित है,

Jahangir 2/11/17  
ए0सी-2

(प्रधान लिपिक)  
कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मु0,  
फरीदाबाद।

Provided U/RTI Act  
S  
SPIO-cum-ACP  
Hqrs., Faridabad